राज सरकार बनाम ग्यारसी
प्र.सं. 233/2025

4/6/25 पत्रावली ... साहब
अन्य रा... ...रा है। अत
पत्रावली ... दि.6/6/25
को पे...

6/6/25 पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार व अप्रार्थी संख्या 10 उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 RTA स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया गया जो शामिल मिसल है। निर्णय की पालना हेतु TDR सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर मय हो कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...
932
3/6/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
मूल प्रकरण संख्या : 235 / 2025
निर्णय दिनांक : 06.06.2025

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल, गोपाल, सावंतराम पुत्र छोटू जाति मीनाा।
2. फैलीराम, पुत्र कानाराम जाति मीनाा।
3. रमेश चंद मीणा पुत्र मन्नाराम जाति मीना।
4. लाला पुत्र मंगला जाति मीना।
5. सुखा पुत्र वालू जाति मीना।
6. अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मीना।
7. कमला देवी पत्नि बद्रीनारायण जाति मीना।
8. रमेश चंद पुत्र मन्ना राम मीनाा।
9. विनोद पुत्र भगवानसहाय जाति मीनाा।
10. श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमि0 जरिये मंत्री 118, खातियों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा, झोटवाडा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 की खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्यारसी, गोपाल, सावंतराम पुत्र छोटू जाति मीणा, फैलीराम, पुत्र कानाराम जाति मीना, रमेश चंद मीणा पुत्र मन्नाराम जाति मीना, लाला पुत्र मंगला जाति मीना, सुखा पुत्र वालू जाति मीना, अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मीना, कमला देवी पत्नि बद्रीनारायण जाति मीना, रमेश चंद पुत्र मन्ना राम मीना, विनोद पुत्र भगवानसहाय जाति मीना, सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 की भूमि पर गणेश वाटिका 5 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नही है। कृषि भूमि सम्पूर्ण भूमि में प्लाटिंग की हुई है, डामर रोड, ग्रेवल रोड डाला हुआ है। तथा अकृषि उपयोग में ली जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त खसरा न0 का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध है। खसरा नम्बर यह है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 की भूमि पर गणेश वाटिका 5 कॉलोनी सृजित होकर सघन आबादी विस्तार हो चुका है। उक्त खातेदार मौके पर कब्जाकाश्त नही है। ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है कि प्रथम दृष्टया वाद में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख0न0 रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दावा वादी पेरोकार सरकार तहसीलदार सांगानेर के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 177 विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किये जाने पर दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 बावजूद तामिल सूचना के हाजिर नही होने पर दिनांक 23.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाव दावा इस आशय का पेश किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में है, जिस पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने का प्रार्थी कोई अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार विहीन होने से सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि का ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में होना और उसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार ग्यारसी, गोपाल, सांवतराम पुत्रान छोटू, फैलीराम पुत्र काना, रमेश चन्द पुत्र मन्नाराम, लाला पुत्र मंगला, सुखा पुत्र बालू, अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल, कमला देवी पत्नी बद्रीनारायण, विनोद पुत्र भगवान सहाय, समस्त जाति मीणा के नाम होना स्वीकार है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण भूमि को मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 को विक्रय कर देने के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ स्थित है। प्रार्थना पत्र खण्ड 2 में वर्णित तथ्य इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र खण्ड 1 में वर्णित भूमि के खातेदारान द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 को कर दिया है तथा मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा क्रय करने के परिणामस्वरूप

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपनी आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ सृजित कर भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र जारी किये जा चुके है, वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कृषि कार्य न होकर उक्त आवासीय योजना के सदस्य काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि को उसके खातेदार काश्तकारों द्वारा मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 ने क्रय कर रखी है और क्रय करने के पश्चात् मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा आवासीय योजना सृजित कर उसके भूखण्डधारियों को आवंटन पत्र दिये जा चुके है जिस पर भूखण्डधारियों ने मकानात बनाकर बजमाने से उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु आवेदन भी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा उक्त भूमि क्रय कर रखी है जिस पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ विकसित है जिसके नियमन का आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए भी प्रकरण धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का कोई रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है तो प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी के पक्ष में जब कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित ही नही है तो उसे किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की भी सम्भावना नही है। उक्त वादग्रस्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण क्षेत्राधिकार विहीन प्रस्तुत किया है जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के खण्ड 1 में वर्णित भूमि पर मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 की आवासीय योजना गणेश वाटिका चतुर्थ के नाम से सृजित है जिस पर भूखण्डधारियों द्वारा मकानात बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार काश्तकारों से उक्त भूमि क्रय कर आवासीय योजना सृजित की है। उक्त वादग्रस्त भूमि मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 की खरीदशुदा भूमि है, जिसके नियमन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम किया जाता है तो मिन उत्तरदाता/अप्रार्थी संख्या 10 को कोई आपत्ति नही है।

वादी व प्रतिवादी की बहस पर गोर किया एवं दावा जवाब दावा तथा प्रस्तुत जमाबंदी वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला का परीक्षण किया जो उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दर्ज है जिसे पेरोकार सरकार एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में जरिये विक्रय अनुबंध पर सहमति से विक्रय किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 10 के द्वारा उक्त कृषि भूमि वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के बिना आवासीय योजना श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के नाम से सृजित कर कर दी जिससे साफ जाहिर होता है प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्ण रूप से उल्लघंन किया है जिसका उसको कोई अधिकार नही था, प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने जवाब दावे में भी आवासीय योजना सृजित करने कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करना स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को नियमन करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली पेश करना अंकित किया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया कि नियमन किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पत्रावली नियमन हेतु पेश की गयी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 10 स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लघंन किया है क्योंकि बिना प्राधिकृत अधिकारी के कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में परिर्तन कराये बिना आवासीय प्रयोजनार्थ में लेने से प्रतिवादी द्वारा राजकीय हानि पहुँचाने के साथ–साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघंन करने के कारण उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर सिवायचक घोषित किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार किया जाकर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में उपयोग करने के कारण वाके ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के हाल खसरा नम्बर 459, 460, 461, 462, 463, 479 सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर निर्णय अनुसार पालना करना सुनिश्चित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर